न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनीता मीणा R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 17/23

नीलमचन्द वगै0 बनाम चन्द्रप्रकाश वगै0

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित : – श्री शिवराजसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण
श्री अमित जैन प्रतिवादी/प्रार्थी सं0 2

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 16/07/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादी सं0 2 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि उक्त शीर्षक वाद में विवादित आराजी का प्रतिवादी सं0 2 व 8 खातेदार काश्तकार थे। जिनके विरूद्व उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी सं0 2 व 8 द्वारा उक्त आराजी का बेचान कर दिये जाने से उक्त वाद का वाद कारण स्वतः समाप्त हो गया है तथा नये खरीददार व बेचान पत्र को इस वाद में चुनौती न देने से वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद में वादीगण को कोई वाद कारण शेष नहीं होने से वाद कारण के अभाव में दावा खारिज करने योग्य है। वादीगण ने उक्त वाद बेचान हो जाने के बाद भी संचालित कर प्रतिवादी सं0 2 व 8 को परेशान व तंग कर रखा है। माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के तुच्छ वाद को धारा 151 जा0दी0 के तहत खारिज करने का सिंद्वात अभिनिर्धारित कर रखा है।
3. अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रा0पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण जानबूझकर मुकदमें को देरीना करने के आशय से भिन्न–भिन्न आवेदन पेश कर अनावश्यक देरी करना चाहते है प्रतिवादी सं0 2, 4, 8 लगा0 10 की ओर से पूर्व में धारा 151 जा0दी0 में आवेदन पेश किया गया था तथा आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 का आवेदन पेश किया था जो दिनांक 22.01.25 को खारिज किया जा चुका है उसके बाद जानबूझकर न तो प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाषा में बहस की ओर ना ही वादीगण द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10 व 6 रूल 17 व धारा 151 जा0दी0 की बहस की तथा जानबूझकर उक्त आवेदन मान्य न्यायालय में गलत तथ्यों पर पेश कर दिया। वादीगण का वाद किसी भी विधि द्वारा आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत रिजेक्ट किये जाने योग्य नहीं है। केवल इस आधार पर कि वादीगण को प्रतिवादी सं0 2 व 8 द्वारा अपने हिस्सें की भूमि विक्रय कर देने के बाद वाद कारण शेष नहीं रहा हो। वाद में प्रतिवादी सं0 2 व 8 के विरूद्व वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख है तथा उसका विवेचन मान्य न्यायालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका है तथा बेचान दौराने वाद रामेश्वरलाल यादव के पक्ष में किया गया है उसके विरूद्व भी वाद कारण लगातार जारी है तथा उसके विरूद्व प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10 व 6 रूल 17 व धारा 151 जा0दी0 विचाराधीन है ऐसी स्थिति में पूर्व में पेश वादीगण के आवेदन पर कोई प्रभावी आदेश पारित करने से पूर्व उक्त आवेदन पर कोई सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त आवेदन मुकदमें को देरीना करने व अनावश्यक रूप से वादीगण को हैरान व परेशान करने के आशय से गलत तथ्यों पर उक्त आवेदन मान्य न्यायालय में पेश किया है इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं0 2 से विशेष हर्जा पाने के अधिकारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

4. बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादी सं0 2 व 8 के द्वारा बेचान किया जा चुका है तथा वादीगण का वाद कारण स्वतः ही समाप्त हो गये है एवंम् वादीगण ने इस वाद में कथित बेचान पत्र को चुनौती नहीं दी गयी है इसलिए वादीगण का वाद वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी/प्रार्थी सं0 2 ने अपने कथनों में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है–
   1. 2018(3) सी.जे. (सिविल) (राज.) पेज सं0 1985
   2. 2019(1) आर.आर.टी. 417
   3. 2020(1) आर.आर.टी. 271
5. वकील वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात का बेचान प्रतिवादी सं0 2 व 8 के द्वारा वादीगण के हक व अधिकारों को प्रभावित करने के आशय से दौराने वाद किया गया है तथा क्रेतागण को पक्षकार बनाये जाने बाबत् वादीगण द्वारा एक प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10 व 6 रूल 17 जा0दी0 का पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिस पर निर्णय होना शेष है तथा उक्त प्रा0पत्र का निस्तारण किये बिना इस प्रा0पत्र का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के कथनों में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है–
   1. सी.सी. 2017(3) पेज 657
   2. डी.एन.जे 2019 एस.सी0 115
   3. सी.जे. सिविल राज. 661
   4. आर.आर.टी. 1991 पेज 20
   5. सी.सी.सी 2018(4) पेज 685
   6. डी.एन.जे. 2016(3) राज. 1208
   7. 2018(2) सी.जे. सिविल राज. 952
   8. डी.एन.जे. 2017(1) राज0 136
   9. डी.एन.जे. 2016(2) राज0 933
   10. आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1331
   11. आर.आर.टी. 2007(2) पेज 905
6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से एवं उभय पक्षों के इस कथन से कि विवादग्रस्त आराजीयात का बेचान प्रतिवादी सं0 2 व 8 के द्वारा किया जा चुका है। वादीगण द्वारा कथिन बेचान पत्र को इस वाद मे चैलेंज भी नहीं किया है तथा वादीगण का वाद कारण समाप्त हो चुका है एवंम् वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है एंवम् वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद वाद कारण के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 16/07/25 को सुनाया गया।

सुनीता मीणा
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ-रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

बइजलास :– सुनीता मीणा आर.ए.एस.

नीलमचन्द वगै0 बनाम चन्द्रप्रकाश वगै0

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

मुकदमा नंबर 17/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री शिवराजसिंह राठौड़ व हाजरी श्री अमित जैन मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद वाद कारण के अभाव में खारिज किया जाता है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 07 सन् 2025 2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

सुनीता मीणा RAS
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–		मीजान		

मुहर

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते